

संख्या:- 5940/6-राओप्रशान/राओप-2017

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

सेवा में,

उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन),  
राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय:-

कार्यालयों में संदर्भों के त्वरित निस्तारण, अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु राजस्व परिषद् द्वारा अनुमोदित पंजिकाओं में संदर्भों के रख-रखाव के संबंध में।

महोदय,

दिनांक: 25 फरवरी, 2017

कृपया, उपरोक्त विषयक अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, राजस्व प्रशासन की दक्षता, कार्य कुशलता एवं प्रभावशीलता की दृष्टि से, कार्यालय में प्राप्त संदर्भों/पत्रों का समयान्तर्गत/समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाना आवश्यकीय है। वर्तमान में कार्यालयों में संदर्भों से संबंधित पंजिका के रख-रखाव की स्थिति संतोषजनक नहीं है। राजस्व परिषद् स्तर पर प्राप्त संदर्भों का समयान्तर्गत प्रत्युत्तर/निस्तारण न किये जाने से परिषद् की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अतएव संदर्भों के त्वरित निस्तारण हेतु पंजिकाओं में इस प्रकार की पेशानी निर्मित की जाये, जिससे संदर्भों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रथम दृष्टि से ज्ञात की जा सके तथा संदर्भों के मासिक निस्तारण की स्थिति भी अद्यतन रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होती रहे। इससे संदर्भों के निस्तारण के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों में संवेदनशीलता आयेगी।

यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि परम्परागत पद्धति से संदर्भों के संबंध में जानकारी करना एवं उसके निस्तारण में तीव्रता लाना सम्भव नहीं है। वर्तमान समय में विभिन्न स्तरों से प्राप्त संदर्भों में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है, जिसका चूकरहित पर्यवेक्षण अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही रेवन्यू मैनुअल में उल्लिखित संदर्भ पंजिका द्वारा वर्तमान में अनेकों स्रोतों से प्राप्त बहुतायत प्रकरणों का समुचित पर्यवेक्षण संभव नहीं हो पा रहा है। शासन तथा विभिन्न आयोगों/न्यायाधिकरणों/मा० न्यायालयों इत्यादि के प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संदर्भ पंजिकाओं के रख रखाव एवं त्वरित अनुश्रवण हेतु वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यमान परिस्थितियों एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अन्य पद्धति एवं प्रक्रिया विकसित की जाये।

राजस्व प्रशासन द्वारा रेवन्यू वर्ष के अनुसार 01 अक्टूबर से नई पंजिकायें निर्मित की जाती हैं, इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान चुनौती के संबंध में नये सिरे से संदर्भों का वर्गीकरण तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पंजिकाओं में पेशानी निर्मित की जाये तथा इसका मासिक गोश्वारा बनाया जाये, जिससे कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रमुख स्तर पर समुचित पर्यवेक्षण हो सके।

राजस्व परिषद् स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि संदर्भों के वर्गीकरण हेतु विषयगत सूची तैयार की जाये तथा पंजिका की पेशानी भी निर्धारित प्रारूप पर तैयार की जाये। इसके अलावा डॉक प्राप्ति एवं डिस्पैच हेतु अलग-अलग पेशानी पर पंजिका तैयार की जाए तथा इसके लिए मासिक गोश्वारा भी बनाया गया है।

राजस्व परिषद् कार्यालय हेतु संलग्नक के अनुसार डॉक प्राप्ति पंजिका पेशानी के अनुसार पंजिका संख्या-01 से 18 पर कुल सोलह नई पंजिकायें निर्मित की जायें एवं संलग्नक के अनुसार डॉक प्रेषण पंजिका पेशानी पर डॉक प्रेषण पंजिका निर्मित की जाये।

अतः उपरोक्तानुसार, राजस्व परिषद् कार्यालय हेतु संलग्नक के अनुसार डॉक प्राप्ति पंजिका निर्धारित पेशानी के अनुरूप पंजिका संख्या-01 से 18 पर कुल सोलह पंजिकायें एवं डॉक प्रेषण पंजिका पेशानी के अनुरूप राजस्व परिषद् कार्यालय हेतु डाक प्रेषण पंजिका तत्काल प्रभाव से निर्मित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

6

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)  
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष को मा० अध्यक्ष के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर राजस्व परिषद्।
3. वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद्।
4. उप राजस्व आयुक्त(भू०व्य०) / प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भू०व्य०) राजस्व परिषद्।
5. ए०आर०सी०, प्रशासन, राजस्व परिषद्।

आयुक्त एवं सचिव

प्रति-राजस्व परिषद्

## डाक प्राप्ति पंजिका

क्रमांक	प्राप्ति तिथि	पत्राक संख्या	पत्र का विषय	निस स्तर से प्राप्त हुआ है, उसका विवरण	प्राप्त करने वाले सहायक के हस्ताक्षर	कार्यवाही हेतु जिस चारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित तिथि	अधिकारी / कर्मचारी को पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित तिथि (इन पत्र में जो समय सीमा निश्चित की गयी है अथवा कार्यालय स्तर पर जो समय सीमा निर्धारित की गयी है।)	कर्मचारी / प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर	उत्तर प्रेषित
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

उत्तर प्राप्ति की तिथि	उत्तर प्राप्त करने वाले सहायक के हस्ताक्षर	उत्तर प्रेषण पत्रांक एवं दिनांक सहित	कितने प्रेषण करने की तिथि	विलम्ब का रूप से उत्तर प्रेषण किया गया (दिनों की संख्या)	विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी का नाम / पदनाम	उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विस्तृद्व की गयी कार्यवाही का विवरण	अभ्युक्ति
11	12	13	14	15	15	17	19

**माहवार गोश्वारा**  
**(डाक प्राप्ति पंजिका)**

क्र0सं0	प्राप्त संदर्भ			निस्तारित संदर्भ			निस्तारित संदर्भ की अवधिवार स्थिति			
	गत माह तक के लम्बित संदर्भ	माह में प्राप्त संदर्भ	कुल संदर्भ की संख्या	विगत माह के संदर्भ का निस्तारण	माह में प्राप्त संदर्भ का निस्तारण	कुल निस्तारित संदर्भ की संख्या	समय पर एक माह के अन्दर	01 माह से 03 माह के अन्दर	01 माह से 03 माह के अधिक	
1	2 क	2 ख	2 ग	3 क	3 ख	3 ग	4 ट	4 ख	4 ग	4 घ

अवशेष संदर्भ	अवशेष संदर्भ की अवधिवार स्थित	तीन सबसे पुराने संदर्भ का स्तर एवं कारण	लम्बित होने आनुवित
विगत माह के अवशेष	माह में प्राप्त अवशेष	01 माह तक 03 माह तक	03 माह से 06 माह तक ऊपर
5 क	5 ख	5 ग	6 क
			7
			8
			9

### डॉक प्रेषण पंजिका

क्रमांक	पत्र प्रेषण पत्रांक एवं दिनांक	पत्र का विषय	जिस स्तर (कार्यालय में) पर प्राप्त हुआ था उसका विवरण	प्रेषण की तिथि	किस प्राधिकारी / अधिकारी को प्रेषित किया गया, उसका नाम एवं पदनाम	पत्र प्रेषण का माध्यम (साधारण डॉक / रजिस्टर्ड डॉक / स्पीड पोस्ट / व्यवितगत तामिल / कोरियर इत्यादि)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08

## रजिस्टरों का विवरण

कार्यालय का नाम :- राजस्व परिषद्

पंजिका संख्या :-

पंजिका खोलने का दिनांक :-

पंजिका की विषय वर्त्तु :-

पंजिका बन्द करने का दिनांक :-

01— पंजिका संख्या—01 :—मा० सिविल / आपराधिक न्यायालय से प्राप्त सन्दर्भ

1— मा० सर्वोच्च न्यायालय

2— मा० उच्च न्यायालय

3— जनपद न्यायालय

4— मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट / न्यायिक मणिस्ट्रेट

5— सिविल जज सीनियर डिवीजन / सिविल जज जूनियर डिवीजन

02— पंजिका संख्या—02 :—मा० राजस्व न्यायालय से प्राप्त सन्दर्भ

1— आयुक्त / अपर आयुक्त

2— जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी

3— जिला उप सचालक चकबन्दी / उप सचालक चकबन्दी

4— पर्शना मणिस्ट्रेट

5— बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी

6— तहसीलदार / नाथब तहसीलदार

7— चकबन्दी अधिकारी

- 03— पंजिका संख्या—03 :—माननीय आयोग राष्ट्रीय रूतर से प्राप्त सन्दर्भ
- 1— लोकपाल
  - 2— मानवाधिकार आयोग
  - 3— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोग
  - 4— अल्पसंख्यक आयोग
  - 5— महिला आयोग
  - 6— पिछड़ा वर्ग आयोग
  - 7— अन्य आयोग
- 04— पंजिका संख्या—04 :—माननीय आयोग राज्य रूतर से प्राप्त सन्दर्भ
- 1— मानवाधिकार आयोग
  - 2— अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग
  - 3— अल्पसंख्यक आयोग
  - 4— महिला आयोग
  - 5— पिछड़ा वर्ग आयोग
  - 6— लोकायुक्त
  - 7— सेवा का अधिकार
  - 8— सेवा न्यायाधिकरण
  - 9— राज्य सूचना आयोग
  - 10— अन्य आयोग
  - 11— अन्य न्यायाधिकरण
- 05— पंजिका संख्या—05
- धारा 80 सी0पी0सी0 नोटिस (सिविल प्रक्रिया संहिता) के प्राप्त सन्दर्भ
- 06— पंजिका संख्या—06
- माननीय मुख्यमंत्री से प्राप्त सन्दर्भ

- 07— पंजिका संख्या—07 अन्य मात्री से प्राप्त सन्दर्भ
- 08— पंजिका संख्या—08 शासन से प्राप्त संदर्भ
- 09— पंजिका संख्या—09 मात्र मुख्य सचिव से प्राप्त संदर्भ
- 10— पंजिका संख्या—10 1—मण्डलायुक्त कार्यालय से प्राप्त सन्दर्भ
- 11— पंजिका संख्या—11 1—जिलाधिकारी कार्यालय / कलेकट्रेट से प्राप्त सन्दर्भ  
2—जिला उप सचालक चकबन्दी से प्राप्त सन्दर्भ  
3—उप सचालक चकबन्दी से प्राप्त सन्दर्भ  
4—बदोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालय से प्राप्त सन्दर्भ
- 12— पंजिका संख्या—13 1— सब डिवीजन से प्राप्त संदर्भ  
2— तहसील से प्राप्त संदर्भ
- 13— पंजिका संख्या—14 मात्र जन प्रतिनिधि से प्राप्त सन्दर्भ

- 14— पंजिका संख्या—16 जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों में कार्यवाही पंजिका
- 15— पंजिका संख्या—17 कार्यालय स्तर (आंतरिक) संदर्भ  
(स्वयं के कार्यालय द्वारा अपने स्टाफ हेतु निर्गत किये जाने वाले संदर्भ के लिए)
- 16— पंजिका संख्या—18 अवगृहीकृत पंजिका (जो पंजिका संख्या—1 से 17 के अन्तर्गत आच्छादित न हो) प्राप्त संदर्भ